

प्रेस नोट 01- दिनांक 14.02.2024 थाना गंगाघाट,जनपद उन्नाव ।

• चोरी के ई-रिक्शा के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुतिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशत निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुतिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशत पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुतिस द्वारा चोरी का ई-रिक्शा बरामद कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मिश्रम विवरण- दिनांक 18.01.2024 को मुकदमा वादी श्री नितिन गुप्ता S/O स्व0 रामसेवक गुप्ता नि0 हुसैनी मस्जिद के पास श्रीनगर थाना गंगाघाट जि0 उन्नाव नें थाना गंगाघाट उपस्थित आकर सूचना दिया कि दिनांक 12.01.2024 को रात लगभग 12 बजे अपना ई-रिक्शा जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर नम्बर-UP 78 FT 6837 रंग सफेद घर के बाहर खड़ा करके अपने घर के अन्दर चला गया था दिनाँक 13/01/2024 को जब प्रार्थी ने घर के बाहर देखा तो रिक्शा वहाँ नहीं था प्रार्थी ने इधर उधर तलाश किया परन्तु रिक्शे का कहीं पता नहीं चला । उक्त सूचना के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु030सं0 26/2024 धारा 379 भादिव बनाम अंज्ञात पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमा से सम्बन्धित प्रकाश में आये दो अभियुक्तों 1.रवीश पुत्र रईस खान निवासी डाकतार कॉलोनी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष 2.मो० अमन पुत्र नफीस अहमद निवासी रहमतनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष को आज दिनांक 14.02.2024 को बदरका चौराहे के आगे निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प की बाउंड्री के पास से चोरी हुआ ई-रिक्शा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/413 भाठदं0वि0 की वृद्धि की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.रवीश पुत्र रईस खान निवासी डाकतार कॉलोनी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष 2.मो० अमन पुत्र नफीस अहमद निवासी रहमतनगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष
- बरामदगी एक अदद ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 78 FT 6837

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 हरी निवास शर्मा
- 2.का0 प्रशान्त कुमार
- 3.का0 गिरीश
- 4.का0 राघवेन्द्र गुर्जर
- 5.का० सचिन
- 6.का0 रजनीश चौधरी





प्रेस नोट 02- दिनांक 14.02.2024 थाना आसीवन,जनपद उन्नाव ।

• अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद कर गिरप्तार किया गया।

राहिप्त विवरण- दिनांक 13.02.2024 को उ0नि0 महेन्द्र सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रसूलाबाद बस अड्डे के पास से अभियुक्त गोरे सिंह पुत्र स्व0 नरेश पाल सिंह नि0ग्राम उमरापुर थाना बघौली जनपद हरदोई उम्र करीब 35 वर्ष के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर मय बिना कागजात की मो0सा0 बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामद UP32FA2612 पैशन प्रो को अन्तर्गत धारा 207 MV एक्ट के तहत सीज किया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 21/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।



नाम पता अभियुक्तगण-

गोरे सिंह पुत्र स्व0 नरेश पाल सिंह नि0ग्राम उमरापुर थाना बघौली जिला हरदोई उम्र करीब 35 वर्ष बरामदगी –

- 1. 01 अदद तमंचा 12 बोर
- 2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 3. मो0सा0 संख्या UP32FA2612 पैशन प्रो

अभियुक्त गोरे सिंह का आपराधिक इतिहास (HS 49A थाना बद्यौती जनपद हरदोई)

- 1 मु0अ0सं0 270/2006 धारा 8/18/21 NDPS ACT थाना बघौली जनपद हरदोई
- 2 मु0अ0सं0 271/2006 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बघौली जनपद हरदोई
- 3 मु0अ0सं0 18/2007 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बघौली जनपद हरदोई
- 4 मु0अ0सं0 19/2007 धारा 8/15 NDPS ACT थाना बघौली जनपद हरदोई
- 5 मु0अ0सं0 318/2003 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बघौली जनपद हरदोई
- 6 मु0अ0सं0 260/2007 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना बघौली जनपद हरदोई
- 7 मु0अ0सं0 220/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई
- 8 मु0अ0सं0 102/2020 धारा 34/307/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई
- 9 मु0अ0सं0 104/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई
- 10 मु0अ0सं0 454/2022 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई
- 11 मु0अ0सं0 388/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बघौली जनपद हरदोई
- 12 मु0अ0सं0 100/2023 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना बघौली जनपद हरदोई
- 13 मु0अ0सं0 383/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बघौली जनपद हरदोई
- 14 मु0अ0सं0 21/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसीवन जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 महेन्द्र सिंह
- 2.कां0 मनमोहन सिंह
- 3.कां0 अंकित कुमार



प्रेस नोट 03- दिनांक 14.02.2024 थाना अजगैन,जनपद उन्नाव ।

• दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगेन पुलिस द्वारा दुष्कर्म के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.01.2024 को थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 24/2024 धारा 376/506 भादिव व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम 1. सलमान पुत्र सलीम उर्फ माहिया निवासी छतईखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 31 वर्ष 2. रहीस पुत्र रफीक निवासी छतई खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14.02.2024 को निरीक्षक श्री राम नारायण मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.सलमान पुत्र सलीम उर्फ माहिया निवासी छतईखेडा थाना अजगैन जनपद



उन्नाव उम्र करीब 31 वर्ष 2. रहीस पुत्र रफीक निवासी छतई खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर पर रेलवे क्रासिंग कस्बा अजगैन से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. सलमान पुत्र सलीम उर्फ माहिया निवासी छतईखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 31 वर्ष 2 रहीस पुत्र रफीक निवासी छतई खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1. निरी0 श्री राम नारायण
- 2. का0 संदीप सिंह भारती
- 3. का० गोविन्द सिरोही



प्रेस नोट ०४- दिनांक <mark>14.02.2024</mark> थाना बीघापुर,जनपद उन्नाव ।

• गैर इरादतन हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुतिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशत निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुतिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशत पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चताये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुतिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को आताकत्त एक अदद डंडा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.02.2024 को थाना बीघापुर पर मु0अ0सं0 20/24 धारा 452/354क/323/504/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दौराने इलाज मारपीट में घायल की मृत्यु हो जाने के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 304 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गई। दिनांक 11.02.2024 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त अजय पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र करीब 26 वर्ष नि0 ग्राम कोइलीखेड़ा मजरा सुमरहा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 14.02.2024 को थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार तिवारी, उ0नि0 लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र पुत्र बच्चू नि0 ग्राम कोइलीखेडा मजरा सुमरहा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र 55 वर्ष 2.रावेन्द्र पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम कोइलीखेडा मजरा सुमरहा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र 23 वर्ष को आलाकत्ल एक अदद डंडा बरामद कर लालाखेड़ा तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1. राजेन्द्र पुत्र बच्चू नि0 ग्राम कोइलीखेडा मजरा सुमरहा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र 55 वर्ष
- 2. रावेन्द्र पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम कोइलीखेडा मजरा सुमरहा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र 23 वर्ष

बरामदगी-

आलाकत्ल एक अदद डंडा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1. थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार तिवारी
- 2. उ0नि0 श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय
- 3. का० विवेकशील

